न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 80 / अपील / 2021 (GCMS No. 2021 / 141)	20.12.2021	15.10.2024

जोधराज पुत्र कालूलाल जाति मीना, निवासी ग्राम अजेता,
हाल जनता कॉलोनी, नैनवां रोड बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
– अपीलान्ट

बनाम

1. सुरजाबाई पुत्री कालूलाल पत्नी रामप्रसाद जाति मीना
   निवासी ग्राम अजेता हाल शंभूपुरिया, तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. कन्याबाई पुत्री कालूलाल पत्नी राजूलाल जाति मीना
   निवासी ग्राम अजेता हाल छोडेदा, तहसील के.पाटन जिला बून्दी
3. बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति मीना, निवासी प्रतापनगर कॉलोनी,
   होन्डा शोरूम के पीछे, कोटा रोड़, के.पाटन जिला बून्दी
4. हरिओम पुत्र कालूलाल जाति मीना, निवासी ग्राम जलोदा खेड़ली
   तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
5. रामलाल पुत्र कालूलाल जाति मीना, निवासी प्रतापनगर कॉलोनी,
   होन्डा शोरूम के पीछे, कोटा रोड़, के.पाटन जिला बून्दी
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री महेश कुमार शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं.1 से 5 की ओर से श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 1470 दिनांक 15.07.2015 ग्राम अजेता से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार कालूलाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 80/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/141 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 की ओर से प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश किया गया, जो बाद सुनवाई दिनांक 10.09.2024 को स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तोवज रेकार्ड पर लिये गये।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि पक्षकारान मृतक कालूलाल आ. शंकर जाति मीना के पुत्र, पुत्रियां है, कालूलाल की पत्नी पुष्पा बाई का देहान्त हो गया है। पक्षकारान अनुसूचित जनजाति मीना समुदाय से है जिस पर उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है तथा पुराने हिन्दू लॉ से ही शासित होते है। जिसके तहत अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके बावजूद कालू आ. शंकर के फोत हो जाने पर अपीलांट व रेस्पो.सं. 3 लगायत 5 पुत्रों के साथ ही उसकी पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण संख्या 1470 दिनांक 15.07.2015 को स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 29.11.2021 को नकल निकलाने पर हुई। इसके बाद अन्दर अवधि यह अपील पेश की गई। फिर भी विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट जोधराज द्वारा अपनी माता पुष्पाबाई एवं बहनों रेस्पो.सं.1 सूरजा बाई व रेस्पो.सं.2 कन्या बाई के साथ मिलकर अपील विषयक आराजी खसरा संख्या 723 रकबा 1.0926 हैक्टेयर वाकेग्राम अजेता में प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा होना स्वीकार करते हुए रेस्पो.सं.3 बाबूलाल व रेस्पो.सं.5 रामलाल के पक्ष में दिनांक 07.10.2020 को रजिस्टर्ड रिलीजडीड का निष्पादन किया गया। साथ ही उसी दिन अपीलांट द्वारा एक इकरारनामा भी नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर निष्पादित किया गया, जिसमें अपीलांट ने स्वयं स्वीकार किया है कि पैतृक संयुक्त खाते में दर्ज माता व बहनों के 1/7–1/7 हिस्से में से मुझे प्राप्त हिस्से व कब्जे की भूमि सहित मौके पर उपलब्ध मेरे वास्तविक हिस्से 1/4 याने 0.27315 हैक्टेयर भूमि का मेरे द्वारा एवं मेरे कहे अनुसार माता व बहनों द्वारा बेचान भाई बाबूलाल (रेस्पो.सं. 3) के पक्ष में करते हुये रजिस्टर्ड रिलीजडीड निष्पादित कर दी गई है। इससे साबित होता है कि

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपीलांट द्वारा अपनी संयुक्त खाते की भूमि में दोनों बहनों का हिस्सा मौजूद होना स्वीकार करते हुये माता व बहनों के साथ संयुक्त रूप से उक्त रिलीजडीड पंजीबद्ध करवाई गई है। रिलीजडीड के 1 वर्ष बाद यह अपील पेश कर स्वयं स्वीकार तथ्य को चुनौती दी गई है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार अपीलांट पूर्व में की गई स्वीकारोक्ति से एस्टोपल है एवं उससे बाहर तथ्य प्रस्तुत कर किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ऐसे में यह अपील चलने योग्य नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 द्वारा अपने पक्ष में आरआरडी 2016 पेज 546 की नजीर पेश करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम बाद सुनवाई दिनांक 20.12.22 को स्वीकार कर अपील अवधि मध्य मानते हुये गुणावगुण पर निर्णय हेतु आदेश पारित किये गये है। अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम अजेता के खाता संख्या 34 में विस्थित आराजी खसरा संख्या 723 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार कालूलाल आ. शंकर कौम मीना थे। खातेदार कालूलाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान पुत्र बाबूलाल, जोधराज, हरिओम, रामलाल पि. कालूलाल, पुष्पाबाई बेवा कालूलाल, सुरजाबाई कन्याबाई पुत्रिया कालूलाल के पक्ष में फोती नामान्तरकरण संख्या 1470 दिनांक 15.07.2015 को तस्दीक किया गया। इस पर आपत्ति होने से अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड रिलीजडीड दिनांक 07.10.2020 का अवलोकन किया गया। जिसके स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपनी पैतृक संयुक्त खाते की भूमि खसरा संख्या 723 रकबा 1.0926 हैक्टेयर में माता पुष्पाबाई एवं बहनों कन्याबाई, सूरजाबाई का 1/7–1/7 हिस्सा निहित होना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/7 तथा माता पुष्पाबाई एवं रेस्पो.सं. 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से 3/7 में से 3/28 हिस्सा रेस्पो.सं. 3 बाबूलाल को तथा माता पुष्पाबाई एवं रेस्पो.सं. 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से 3/7 में से 9/28 हिस्सा रेस्पो.सं.5 रामलाल के पक्ष में हकत्याग करते हुये रिलीजडीड निष्पादित की जाकर दिनांक 07.10.2020 को पंजीबद्ध करवाई गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा एक ओर जहां संयुक्त खाते में अपनी बहनों का हिस्सा निहित होना उक्त रजिस्टर्ड रिलीजडीड में स्वीकार किया गया है, वही दूसरी ओर मीणा जाति में पुत्रियों को अधिकार न होने की आपत्ति की जाकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश कर दी गई है। यहां उल्लेख करना उचित है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 07.12.2020 को ही अपने खाते में दोनों बहनों का हिस्सा होना स्वीकार किया है, इसके बावजूद प्रार्थना

जिला कलक्टर, बून्दी

पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट द्वारा दिनांक 29.11.2021 को नकल निकलवाने पर जानकारी होने का तथ्य अंकित किया गया है, इससे प्रकट है कि अपीलांट द्वारा यह अपील स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ऐसे में अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी